

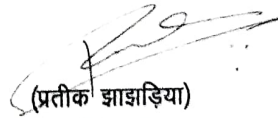
आदेश

राज्य के उद्योगों पर व्यवसायिक नियामकों की अनुपालनाओं (Regulatory Compliances) का बोझ कम कर उद्योगों को प्रोत्साहन देने तथा E.O.D.B के लिए ऑनलाईन तकनीक का उपयोग करने व स्व प्रेरणा से नियमों की त्वरित पालना के लिए विकल्प देने हेतु संस्थान प्रबंधन को निम्न श्रम विधियों यथा:-

1. बीडी एव सिगार श्रमिक अधिनियम, 1966
2. ठेका श्रमिक अधिनियम, 1970
3. केन्द्रीय अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979
4. मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961
5. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
6. कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923
7. मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, 1961
8. मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936
9. बाल एव कुमार श्रम अधिनियम, 1986
10. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958
11. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996
12. उपादान भुगतान अधिनियम, 1972
13. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
14. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965
15. औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946
16. विक्रय बढ़ोतरी अधिनियम, 1976
17. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
18. कार्यकारी पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कामगार (सेवा की शर्तों) एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1955

उक्त अधिनियमों एवं संबंधित राजस्थान नियमों के अन्तर्गत रिकॉर्ड/रजिस्टर ऑनलाईन या कम्प्यूटर पर संधारित करने तथा रिटर्न ऑनलाईन प्रस्तुत करने के लिए नियोजक/संस्थान प्रबंधन को निम्नानुसार अधिकृत किया जाता है:-

1. उक्त अधिनियम व नियमों के तहत संधारित किये जाने वाले सभी रिकॉर्ड/रजिस्टर को संस्थान प्रबंधन/नियोजक I.T ACT, 2000 के प्रावधानों के अनुसार ऑनलाईन या कम्प्यूटर पर संधारित कर सकता है।
2. उक्त अधिनियमों व नियमों के तहत अनुपालना हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले सभी दस्तावेज विभागीय पोर्टल पर ऑनलाईन ही प्रस्तुत किये जावेंगे।
3. उक्त अधिनियमों के तहत प्रस्तुत की जाने वाली रिटर्न ऑनलाईन ही प्रस्तुत की जायेगी।
4. उक्त अधिनियम व नियमों के तहत प्रदर्शित की जाने वाली वैधानिक सूचनाओं को Simplify करने हेतु व कम्प्यूटर तकनीक का उपयोग कर ऐसी सभी सूचनाएं अंकीकरण कर (digitize) प्रदर्शित की जा सकती है।


(प्रतीक झाड़ाड़िया)

श्रम आयुक्त
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक एफ.8(1)E.O.D.B/आई.आर./श्रम/2020/4357-95

जयपुर, दिनांक 17.2.21

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त श्रम आयुक्त, (मु0) राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त उद्योग एवं कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।
5. सहायी संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी (समस्त)।
6. संबंधित/गार्ड फाइल।



अतिरिक्त श्रम आयुक्त
एव पदेन संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान जयपुर।

✓ ज्मारी L D M S